



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 अगस्त, 2021

श्रावण 26, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-5

संख्या जन-390/छ:-पु0-5-2021-800(7)-2021

लखनऊ, 17 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प0आ0-268

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित डिफेंस ऑफ इण्डिया रूल्स, 1971 के नियम 67 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचना संख्या 4398-आर/8-अनुभाग-5-364-76, दिनांक 9 जुलाई, 1976 द्वारा उत्तर प्रदेश (असाधारण) गजट, दिनांक 9 जुलाई, 1976 की अधिसूचना में प्रकाशित यू0पी0 फायर आर्म्स एण्ड एम्यूनीशन (शस्त्र प्रदान किये जाने पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1976 को विखण्डित करती हैं, सिवाय उन संदर्भित चीजों के, जो की जा चुकी हों या ऐसे विखण्डन के पूर्व किये जाने हेतु छूट चुकी हों।

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवस्थी,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. Jan-390 /chha-pu.-5-2021- 800(7)-2021, dated August 17, 2021:

No. Jan-390 /chha-pu.-5-2021-800(7)-2021

Dated Lucknow, August 17, 2021

IN exercise of the powers under rule 67 of the Defence of India Rules, 1971 *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to rescind the U.P. Firearms and Ammunitions (Restriction on Grant of Licence) Order, 1976 published *vide* notification U.P. *Gazette* (Extraordinary), dated July 9, 1976, *vide* notification no. 4398-R/8-Section-5-364-76, dated July 9, 1976 except as respects things done or *omitted* to be done before such rescission.

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 238 राजपत्र-2021-(547)-599 प्रतियां-(क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० गृह (पुलिस)-2021-(548)-100 प्रतियां-(क०/टी०/ऑफसेट)।